सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 पौष, 1938 (श०)

संख्या- 88 राँची, मंगलवार,

10 जनवरी, 2017 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

2 जनवरी, 2017

विषयः- केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अंतर्गत 6163.21 **लाख (एकसठ करोड़ तिरसठ लाख इक्कीस हजार) रु॰ की लागत पर स्वीकृत गिरिडीह शहरी जलापूर्त्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में ।**

संख्या-5/न०वि०/शहरी जलापूर्ति (गिरिडीह)-04/2016-17-- नगर विकास एवं आवास विभाग 74वें संविधान संशोधन के आलोक में नागरिकों को मौलिक/बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है । इस आलोक में गिरिडीह हेतु जलापूर्ति योजना का सूत्रण किया गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि 6163.21 लाख (एकसठ करोड़ तिरसठ लाख इक्कीस हजार) रु॰ है, यह योजना शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अमृत योजना अंतर्गत स्वीकृत की गई है । तैयार किए गए DPR पर विभागीय तकनीकी कोषांग द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है, तत्पश्चात् अमृत योजना अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) द्वारा उक्त योजना के दिशा-निदेश के आलोक में अनुमोदन प्रदान किया गया है ।

2. वर्तमान में गिरिडीह नगर परिषद् में लगभग 20000 घरों के विरुद्ध 6782 घरों में ही जलापूर्ति कनेक्शन उपलब्ध है । सभी क्षेत्रों में समुचित वितरण व्यवस्था की अनुपलब्धता के कारण शेष घरों तक जलापूर्ति कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया जा सका है ।

3. गिरिडीह नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत जलापूर्ति व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित अवयव उपलब्ध है :-

Raw Water Pumping Main	400 MM to 700 MM Dia - 135 KMs
WTP	30.40 MLD (Total Installed)
Clear water Pumping Main	200 MM to 400 MM dia - 25.7 KMs
Storage Reservoirs (ELSR)	7 Nos - 8500 KL
Distribution Network	110.00 KMs

4. वर्तमान में कार्यरत जलापूर्ति व्यवस्था के तहत 30.40 MLD क्षमता के चार Water Treatment Plants (खंडोली में 5.4 एवं 7.0 MLD क्षमता के 2 WTP, महेशलुडीह में 7.0 MLD क्षमता का 1 WTP एवं चैताडीह में 11.0 MLD क्षमता का 1 WTP) अधिष्ठापित है, जो वर्ष 2048 तक के मांग के विरुद्ध आपूर्ति करने में सक्षम है, अतः प्रस्तावित परियोजना में किसी नए Water Treatment Plant के अधिष्ठापन की आवश्यकता नहीं होगी ।

5. परियोजना में अपर्याप्त वितरण व्यवस्था (Distribution Network) के कारण उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण एवं भविष्य के मांग को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2048 तक की योजना के अनुसार Network Design तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत 750 KL क्षमता का एक ELSR (जल मिनार) का निर्माण किया जायेगा ।

6. इस योजना अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी Service Level Benchmark को ध्यान में रखा गया है एवं भविष्य के मांग के आधार पर 24×7 जलापूर्ति व्यवस्था हेतु प्रावधान किया गया है ।

7. अमृत योजना के दिशा-निर्देशिका की कंडिका-5 के उपकंडिका-5.1 के अनुसार प्रस्तावित परियोजना के DPR में रख-रखाव (Operation & Maintenance) की तय समय-सीमा 5 वर्ष निर्धारित की गई है । चूंकि पूर्व से जलापूर्ति परियोजनाओं हेतु मंत्रिपरिषद् स्तर से स्वीकृत Standard Bid Document में रख-रखाव की अवधि 2 वर्ष ही निर्धारित है, अतः उक्त परियोजना हेतु एक पृथक Model Bid Document (5 वर्षों के रख-रखाव हेतु) तैयार किया गया है । इस Model Bid Document का उपयोग अमृत योजना अंतर्गत सभी जलापूर्ति योजनाओं के लिए किया जा सकेगा ।

8. इस परियोजना के अवयव निम्नलिखित है :-

Components	Details
Source	Khandoli Dam
Storage Reservoirs ELSR	1 No. - 750 KL
House service connections with meters	19748 Nos (including

Components	Details
	existing)
Distribution Network (100 mm to 400 mm dia DI)	103.642 kms
Bulk flow meters	94 Nos.
Generator Sets	4 Nos.
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)	Up to ESR outlet

9. परियोजना के क्रियान्वयन की अनुमानित राशि का ब्योरा निम्नवत् है :-

Sl. No.	Details	Amount (Rs. in Lakh)
1	Laying of DI K7 Distribution lines - Zone-1	101.50
2	Laying of DI K7 Distribution lines - Zone-2	291.83
3	Laying of DI K7 Distribution lines - Zone-3	306.84
4	Laying of DI K7 Distribution lines - Zone-4	116.71
5	Laying of DI K7 Distribution lines - Zone-5	249.22
6	Laying of DI K7 Distribution lines - Zone-6	137.53
7	Laying of DI K7 Distribution lines - Zone-7	243.65
8	Laying of DI K7 Distribution lines - Zone-8	238.78
9	Providing Bulk Flow Meters (94 Nos)	228.51
10	Construction of 750 KM ESR	63.21
11	Providing SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) system for water supply system	510.00
12	Carriage of Materials	64.26
13	Labor cess @ 1%	25.52
	Total (A)	**2577.56**
14	Annual O & M Charges for 5 Years	3284.93
	Total (B)	**3284.93**

15	Provision for Consultancy charges for DPR preparation and project management consultancy charges & capacity building etc.	76.56
16	Provision for physical contingencies towards U/F items of works Generator set, Repair of old structures etc.	76.56
	Total (C)	**153.12**
17	JUIDCO Charges (योजना -सह -वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3201 दिनांक 4 नवम्बर, 2016 के अनुसार)	147.60
	Total (D)	**147.60**
	Grand Total	**6163.21**
Amount in word :- एकसठ करोड़ तिरसठ लाख इक्कीस हज़ार रुपये।		

10. उपरोक्त तालिका के अनुसार परियोजना की लागत राशि (CAPEX) 2878.28 लाख (अट्ठाईस करोड़ अठहत्तर लाख अट्ठाईस हजार) रु॰ है एवं रख-रखाव की राशि (OPEX) 3284.93 लाख (बत्तीस करोड़ चौरासी लाख तिरानवे हजार) रु॰ होगी । अमृत योजना के दिशा-निर्देशिका की कंडिका-5 के उपकंडिका-5.1 के अनुसार उपर्युक्त परियोजना के लागत राशि (CAPEX) का वित्त पोषण निम्नलिखित स्रोतों से किया जाएगा :-

(Amount in Lakhs)

Name of Project	Approved Project Cost (CAPEX)	Central Share	State Share	ULB Share	
				14th F.C.	Others
Giridih Water Supply Scheme	2878.28	1439.14	863.49	460.52	115.13

11. परियोजना की लागत राशि (CAPEX) का 50% केन्द्रांश, 30% राज्यांश तथा शेष निकाय अंश के रूप मे देय होगा । स्वीकृत किए गए SAAP के अनुसार निकाय अंश का 80% 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध निधि से किया जायेगा एवं शेष 20% राज्य सरकार द्वारा अमृत योजना के राज्यांश अंतर्गत कर्णांकित राशि से देय होगा ।

12. उपर्युक्त परियोजना के रख-रखाव में (5 वर्षों के लिए) व्यय होने वाली राशि (OPEX) का वहन राज्य योजना अंतर्गत 'पेयजल जलापूर्ति के लिए शहरी निकायों को सहाय्य अनुदान मद' से किया जायेगा। (मुख्य शीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उप मुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति, लघु शीर्ष-191-नगर निगमों को सहायता, उप शीर्ष-01-पेयजल जलापूर्ति के लिए शहरी निकायों को सहाय्य अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान)

13. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में अमृत अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं हेतु प्राप्त केन्द्रांश एवं आवश्यक राज्यांश की राशि राज्य शहरी विकास अभिकरण

(SUDA) के अंतर्गत अमृत योजना के पृथक बैंक खाते में संधारित किया जाना है । योजना-सह-वित्त विभाग से अनुमोदनोपरांत राज्य शहरी विकास अभिकरण के अंतर्गत अमृत परियोजनाओं हेतु एक पृथक बैंक खाता संधारित किया गया है, जिसमें परियोजनाओं हेतु निर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि संधारित है । अतः उपर्युक्त परियोजना का क्रियान्वयन करने वाली संस्था को नियमानुसार राशि का आवंटन राज्य शहरी विकास अभिकरण के स्तर से किया जायेगा ।

14. परियोजना के रख-रखाव हेतु निर्धारित 5 वर्ष की समय-सीमा के लिए एकरारनामा में कार्य योजना (O&M Plan) का प्रावधान किया गया है, जिसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :-

क) रख-रखाव हेतु चयन किए जाने वाली संस्था की वांछित योग्यता का निर्धारण किया गया है ।

ख) गुणवत्तायुक्त जलापूर्ति एवं निर्बाध सेवा के अनुरूप मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं, इन मापदण्डों के आधार पर ही चयनित संवेदक को भुगतान किया जायेगा ।

ग) रख-रखाव अवधि के दौरान संवेदक द्वारा मीटर रिडींग कर निकाय के द्वारा निर्धारित किए गए जल उपभोग शुल्क (Water User Charges) के अनुसार नवीनतम तकनीकों (E-mail, SMS आदि) का प्रयोग करते हुए सभी उपभोक्ताओं को विपत्र उपलब्ध कराया जायेगा। निकाय अथवा निकाय द्वारा राजस्व/कर संग्रहण करने हेतु चयनित संस्था के माध्यम से उपभोक्ताओं द्वारा इस विपत्र के विरुद्ध भुगतान किया जा सकेगा ।

घ) संवेदक को रख-रखाव के विरुद्ध राशि का भुगतान परियोजना के निविदा दस्तावेज में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा ।

15. उपरोक्त परियोजना के विभिन्न अवयवों के निर्माण हेतु आवश्यक भूखंड गिरिडीह नगर परिषद् को उपलब्ध है ।

16. क्रमांक-9 में अंकित DPR की कुल राशि 6163.21 लाख (एकसठ करोड़ तिरसठ लाख इक्कीस हजार) रु॰ की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त है ।

17. उपर्युक्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 में मद संख्या 12 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 88--50